राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 568 /मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019, रायपुर दिनांक 27/08/2019

प्रति,

1. **कलेक्टर सह अध्यक्ष,**
   प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह**
   सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त

विषयः— स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत बेसलाईन सर्वेक्षण 2012—13 में छूटे हुए परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन बावत्।

संदर्भ :— संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्र. S-18020/91/2016-SBM, Dt. 07-08-2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। पत्रानुसार अवगत कराया गया है कि बेसलाईन सर्वेक्षण 2012—13 में छूटे हुए परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु कोई परिवार छूट गया हो तो उससे आवेदन मंगाये जाने की सूचना राज्य एवं जिला स्तर से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती है।

विदित है कि 02 अक्टूबर 2019 को पूरे देश को ओ.डी.एफ. घोषित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में कोई भी परिवार शौचालय विहीन नहीं बचना चाहिए। अतः इस बावत समाचार पत्र में प्रेस रिलीज जिला स्तर से प्रकाशित करने का कष्ट करे। प्रेस रिलीज का प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

Pandey

(अनुराग पाण्डेय)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 569 /मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019, रायपुर दिनांक 27/08/2019

प्रतिलिपि :—**स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Pandey

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner

प्रेस रिलीज

शौचालय निर्माण हेतु अंतिम अवसर

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सभी परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसलाईन सर्वेक्षण अनुसार शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। यदि आज भी कोई परिवार शौचालय विहीन बचा हो, तो ऐसे पात्र परिवार अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत को दिनांक 31.08.2019 तक दे सकते है। इसके पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

Scanned by CamScanner